रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122022-241308 CG-DL-E-22122022-241308

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5748]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2022/अग्रहायण 30, 1944

No. 5748]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022/AGRAHAYANA 30, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 9 दिसम्बर. 2022

का.आ. 5986(अ).—भारत सरकार को लोकहीत मे यह आवश्यक प्रतीत होता हे कि पश्चिम बंगाल राज्य मे धामरा–हिल्दिया पाइप लाइन (डि एच पि एल) (जगदीशपुर-हिल्दिया और बोकारो-धामरा पाइप लाइन के विस्तार के रूप में) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल(इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए।

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता हे कि उस भूमि में, जिसमे उक्त पाइप लाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, भारत सरकार, पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) कि धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उकत अनुसूची मे वर्णित भूमि में हितबदध है, उस तारिख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र मे यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती हे, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने की संबंध मे, सक्षम प्राधिकारी, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

8557 GI/2022 (1)

जगदिशपुर - हिल्दिया एवं बोकारो -धामरा पाइपलाइन परियोजना अनुभाग - धामरा से हिल्दिया 3(1) अनुसूची

राज्य : पश्चिम बंगाल

			जे.		गर्चे	क्षेत्रफल			
जिला	खण्ड	गांव	ऐल.	नक्शा	सर्व नंबर	हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर	एकड़
			न		गजर	ह यदजर		पग माटर	
1	2	3	4	5	6	7			8
पश्चिम मेदिनीपुर	मोहनपुर	दिग्दा	343	आरएस	805	00	08	94	0.2000

फा. सं. एल -14014/232/2022-जीपी-II (ई-45119)]

राकेश मिश्रा. अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2022

S.O. 5986(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Dhamra-Haldia Pipeline (DHPL) as an expansion of Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline, in the State of West Bengal, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one (21) days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited.

JAGDISHPUR - HALDIA & BOKARO - DHAMRA PIPELINE PROJECT DHAMRA TO HALDIA SECTION 3(1)LAND SCHEDULE

State: West Bengal

District	Block	Mouza	J.L. No.	Map	Currey No	Area			
District	DIOCK				Survey No.	Hec.	Are	Sq.mt.	Acre
1	2	3	4	5	6	7		8	
Paschim Medinipur	Mohanpur	Digda	343	R.S	805	00	08	94	0.2000

[F. No. L-14014/232/2022-GP-II (E-45119)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.